



Neutral Citation No. - 2026:AHC:66178

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
2932/2026

मनीष कुशवाहाआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: दिवस वर्मा, जी.एस. चौहान

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 25/2025, धारा 318(4), 317(2), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस., और धारा 66 डी आई.टी. एक्ट, थाना साइबर क्राइम औरैया, जिला औरैया में इस प्रार्थना के साथ अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु दिया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि घटना 31.10.2025 को होना बताया गया है, जबकि एफ.आई.आर. बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के इतने अत्यधिक विलंब के साथ 18.11.2025 को दर्ज की गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक के खाते में एक पैसा भी हस्तांतरित नहीं किया गया है और आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे आशंका है कि उसे उपर्युक्त मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अब तक आवेदक के विरुद्ध कोई दंडात्मक प्रक्रिया जारी नहीं की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक विवेचना और विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में यह निर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
6. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।
7. अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- मनीष कुशवाहा की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक संबंधित थाने के थाना प्रभारी के संतोषजनक 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -
 - (i) आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके;
 - (iii) आवेदक विवेचना के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
9. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विवेचना अधिकारी/अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2020

एस. अली

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"